कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 357/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.10.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 05.10.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01. थाना- फूलपुरः छेड़खानी के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 28.06.2025 को वादिनी मुकदमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से बांस काट रहे थे, मना करने पर गाली गुप्ता देते हुये मारपीट व छेड़खानी की गयी,जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 317/25 धारा 74/115(2)/351(3)/352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1.इन्द्रेश यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम बजीराबाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ आदि 03 नफर के पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 गंगाराम विन्द द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवेचना एवं साक्ष्य संकलन तथा पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस आदि से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 70(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट का अपराध होना पाया गया तथा धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट का अपराध होना नही पाया जा रहा है। अतः मुकदमा उपरोक्त मे धारा 70(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी तथा धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट की घटोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 05.10.2025 को व0उ0नि0 गंगा राम विन्द मय हमराह के वांछित अभि0गण1.इन्द्रेश यादव पुत्र रामनाथ यादव 2.हरिकेश यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासीगण ग्राम बजीराबाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को वजीराबाद मोड़ झकहाँ से समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. इन्द्रेश यादव पुत्र रामनाथ यादव उम्र करीब 27 वर्ष
2. हरिकेश यादव पुत्र रामनाथ यादव उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण ग्राम बजीराबाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0-317/2025 धारा 70(2)/115(2) /351(3)/352 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1-उ0नि0 गंगा राम विन्द का0 का0 उपेन्द्र वर्मा का0 राजेश यादव का0 राजकुमार पटेल का0 इरफान अहमद थाना फूलपुर आजमगढ़

02.थाना- बरदहः अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 05.10.25 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति संदीप गौड पुत्र शीत बसन्त गौड निवासी चौकी दौना थाना देवगांव जनपद आजमगढ को एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ त्रिवेणई मोड़ से समय सुबह 05.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 296/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम संदीप गौड़ उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। गिफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- संदीप गौड पुत्र शीत बसन्त गौड निवासी चौकी दौना थाना देवगांव जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरणः

1-एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 296/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 118/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 112/23 धारा 379/411 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 296/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 उमेशचन्द यादव थाना बरदह, आजमगढ़
2. उ0नि0 अम्बुज कुमार राही थाना बरदह, आजमगढ़
3. हे0का0 मनोज सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 पवन कुमार थाना बरदह, आजमगढ़

03.थाना कप्तानगंजः फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, व बैंक खाता खोलकर जमीन बैनामा करने के प्रयास में धोखाधड़ी में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व में 04 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 26/09/2025 को थाना स्थानीय पुलिस द्वारा तहसील बूढ़नपुर परिसर में की गई त्वरित कार्रवाई में 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। ये अभियुक्त वादी मुकदमा अखिलेश राजभर के चाचा और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी पहचान पत्र (आधार/पैन कार्ड) और फर्जी बैंक खाते का उपयोग कर जमीन का बैनामा कर धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। उक्त के सम्बन्ध मे थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0- 296/25 धारा 319/318(1)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान एक अन्य अभियुक्त अभिषेक यादव उर्फ पप्पू यादव पुत्र स्व0 रामनयन निवासी ग्राम- मुखलिसपुर थाना- कप्तानगंज जनपद आजगमढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 05.10.2025 को व0उ0नि0 विजय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये एक अन्य अभियुक्त अभिषेक यादव उर्फ पप्पू यादव पुत्र स्व0 रामनयन निवासी ग्राम- मुखलिसपुर थाना- कप्तानगंज जनपद आजगमढ़ को समय करीब 10.40 बजे पासीपुर पुलियाँ के पास से गिरफ्तार किया गया गया। वादी मुकदमा अखिलेश राजभर के चाचा और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी पहचान पत्र (आधार/पैन कार्ड) और फर्जी बैंक खाते का उपयोग कर जमीन का बैनामा कर धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभिषेक यादव उर्फ पप्पू यादव पुत्र स्व0 रामनयन निवासी ग्राम- मुखलिसपुर थाना- कप्तानगंज जनपद आजगमढ़।

पंजीकृत अभियोगः-

1-मु0अ0सं0- 296/25 धारा 319/318(1)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना- कप्तानगंज जनपद आजगमढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.व0उ0नि0 विजय सिंह गौण थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

2. आरक्षी अप्पू प्रसाद थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

3.आरक्षी बृजेश गोंड थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

04.थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़: साइबर जागरूकता अभियान के तहत आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्रचार - प्रसार कर साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया ।

दिनांक: 05.10.2025 को श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तरप्रदेश महोदय द्वारा माह अक्टूबर (National Cyber Security Awareness Month) (NCSAM) मे साइबर जागरूकता माह मनाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है । जिसके क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी साइबर क्राइम व क्षेत्राधिकारी सदर सहायक नोडल अधिकारी आजमगढ़ के निर्देशन मे आज दिनांक- 05.10.2025 को आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर अपराधो जैसे डिजीटल अरेस्ट मे फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, साइबर पुलिस अधिकारी बनकर पैसे की मांग करना , मोबाइल फोन मे फर्जी एप्प डाउनलोड कराकर या लिंक पर क्लिक कराकर ठगी करना , गिफ्ट / लाटरी के नाम पर स्कैम, सोशल मीडिया (इस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट आदि) पर अन्जान व्यक्तियो / महिलाओ से दोस्ती करना, म्यूल अकाउट, फर्जी मोबाइल नम्बर आदि के बारे मे विस्तृत जानकारी देते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लाउडहेलर चलाकर तथा पम्पलेट वितरण कर प्रचार – प्रसार करते हुए आमजनमानस को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया गया ।

साइबर अपराध की घटना हो जाने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराने तथा साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in की जानकारी दी गई ।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी:

- म0नि0 श्रीमती विभा पाण्डेय थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- उ0नि0 कलाप कलाधर त्रिपाठी थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- का0 महिपाल यादव थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- का0 रामाश्रय यादव थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़

प्रेस नोट

जनपद आजमगढ़।

दिनांक 05.10.2025

वामा सारथी आजमगढ़, पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोशिएशन, उ0प्र0 के तहत वामा वेलनेस कैंप कार्यक्रम संपन्न हुआ ।

➡ आज दिनांक 05.10.2025 को #वामा_सारथी के तहत क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी व क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल की उपस्थिति में पुलिस लाइन, जनपद आजमगढ़ में (डा0 लाल पैथ) वामा वैलनेस निशुल्क चिकित्सा कैंप आयोजन किया गया।

➡ कैंप में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने पुलिसकर्मियों, उनके परिजनों तथा स्थानीय नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण व परामर्श प्रदान किया। कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया और रक्तचाप, शुगर, नेत्र, दंत, एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच कराई गई।

➡ वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे चिकित्सा शिविरों के आयोजन से न केवल पुलिसकर्मियों बल्कि आम जनता में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है।

प्रेस नोट, दिनांक 05.10.2025

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

➡ माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से **मिशन शक्ति विशेष अभियान** प्रारंभ किया गया है।

➡ **मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0** का शुभारम्भ **दिनांक 20 सितम्बर 2025** को **शारदीय नवरात्रि** के पावन अवसर पर किया गया।

➡इसी क्रम में **दिनांक 05 अक्टूबर 2025** को जनपद **आजमगढ़** में श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय, श्रीमान् पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण / नोडल अधिकारी मिशन शक्ति **श्री चिराग जैन** तथा पर्यवेक्षण अधिकारी **श्रीमती आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर** के नेतृत्व में विविध जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गई।

मुख्य गतिविधियाँ:

01.महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल कार्यक्रम:

➡ जनपद के विभिन्न **मन्दिरों**, **सार्वजनिक स्थानों**, एवं **पंचायत भवनों** में महिला बीट पुलिस अधिकारियों ने चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को **सरकारी योजनाओं**, **हेल्पलाइन नम्बरों** (1090, 112, 181, 1930 आदि) की जानकारी दी।

➡ **फुट पेट्रोलिंग** के दौरान रूक-रूककर स्थानीय महिलाओं से संवाद कर उन्हें आत्मरक्षा के प्रति सजग किया गया।

02.एण्टी रोमियो टीम द्वारा सघन चेकिंग:

➡ जनपद के चिन्हित **हॉट-स्पॉट स्थलों** पर सभी **एण्टी रोमियो टीमों** द्वारा सतर्क निगरानी रखते हुए सघन चेकिंग की गई, जिससे महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास का संचार हुआ।

➡ यह अभियान महिलाओं में **सुरक्षा के प्रति जागरूकता**, **कानूनी जानकारी** और **सरकारी संसाधनों** के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।